

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India.**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 6, 1976/फाल्गुन 16, 1997

No. 111]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 6, 1976/ PHALGUNA 16, 1997

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

**MINISTRY OF LABOUR**  
**NOTIFICATION**

*New Delhi, the 6th March, 1976*

S.O. 175(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976) the Central Government hereby appoints the 8th day of March, 1976, as the date on which the said Act shall come into force in respect of employments in banks, insurance companies and other financial institutions.

[No. P. 11025/61/75-WC].

T. S. SANKARAN, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1976

का० आ० 175 (अ).—गमान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय नरकार मार्च, 1976 के आठवें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको बैंकों, बीमा कम्पनियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में नियोजनों के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सं० पी० 11025/61/75-डब्ल्यू० सी०]

टी० एस० शंकरन, संयुक्त सचिव ।

( 531 )

